मुकदमों का विवरण

आर. राघवेंद्रन बनाम

सी. राजा जॉन एंड ओआरएस।

(सिविल अपील सं. 2552/2022) सितंबर 13,2023

[संजय किशन कौल और सुधांशु धूलिया**,** जे**.** जे**.]** हेडनोट्स

विचार के लिए विषयःक्या सारवाना ग्लोबल होल्डिंग्स लिमिटेड और ए. एन. आर. में न्यायाधिकरण के निर्णय के संदर्भ में, आक्षेपित निर्णय में एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा की गई टिप्पणियां। बनाम बाफना फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड और अन्य, कि यदि कॉर्पोरेट देनदार एक एमएसएमई है, तो कॉर्पोरेट देनदार का नियंत्रण हासिल करने के लिए प्रवर्तकों के लिए अन्य समाधान आवेदकों के साथ प्रतिस्पर्धा करना आवश्यक नहीं है, इसे बाफना के मामले में टिप्पणियों के परिप्रेक्ष्य में बनाए रखा जा सकता है या नहीं, जिसके खिलाफ अपील सुप्रीम न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई थी।

दिवाला और दिवालियापन संहिता**, 2016-**कॉर्पोरेट देनदार**,** एक एमएसएमई**-**बाफना के मामले में किए गए प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए आक्षेपित निर्णय में कहा गया है कि यदि कोई कॉर्पोरेट देनदार एक एमएसएमई है तो प्रवर्तकों के लिए कॉर्पोरेट देनदार पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए अन्य समाधान आवेदकों के साथ प्रतिस्पर्धा करना आवश्यक नहीं है**-**वैधताः

आयोजित किया गयाःबाफना के मामले के तथ्यात्मक परिदृश्य में, यह अवलोकन कि "असाधारण परिस्थितियों" में यदि कोई कॉर्पोरेट देनदार एक एमएसएमई है, तो प्रवर्तकों के लिए कॉर्पोरेट देनदार का नियंत्रण बनाए रखने के लिए अन्य समाधान आवेदकों के साथ प्रतिस्पर्धा करना आवश्यक नहीं है, (ए) सीओसी के गठन से पहले या (बी) एस के संदर्भ में किए गए थे।12 ऐसे मामले में प्रवर्तक द्वारा दिए गए प्रस्ताव के आधार पर संहिता का ए-आक्षेपित निर्णय में, बाफना के मामले में निर्णय के संदर्भ के अलावा विशेष परिस्थितियों पर कोई चर्चा नहीं की गई है-यह एक व्यापक तर्क पर आधारित है जैसे कि वास्तव में अन्य प्रस्तावों को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है यदि कॉर्पोरेट देनदार एक एमएसएमई है-यह विधि की सही स्थिति नहीं है-इसके अलावा, यह सब इस 720 द्वारा किया गया था।

सरवाना ग्लोबल होल्डिंग्स लिमिटेड और ए. एन. आर. निर्णय । बाफना फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड और अन्य को केवल यह देखते हुए न्यायाधिनिशुल्क ण के आदेश को बरनिशुल्क ार रखना था कि हस्तक्षेप का कोई न्यायालय नहीं बनाया गया है, कुछ भी अधिक नहीं और कुछ भी कम नहीं-वर्तमान मामले में, अपीलनिशुल्क ता-समाधान पेशेवर को अन्य प्रस्तावों के लिए बुलाने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1-एमएसएमई के प्रमोटर द्वारा दिए गए प्रस्ताव की भी जांच की जानी थी, उन्हें सीओसी के समक्ष मतदान निशुल्क ने के लिए रखा गया था और परिणाम घोषित किए गए थे-उस हद तक, आक्षेपित आदेश को दरकिनार निशुल्क दिया गया है-अवमानना कार्यवाही या अनुच्छेद संख्या 32 और 34 में टिप्पणियों के आधार से निकलने वाली कोई अन्य कार्यवाही। [पैरा 7,11,14-17,21]

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

कुन्हयमद और ओआरएस बनाम केरल राज्य और अन्र। (2000) 6 एससीसी 359:

[2000] 1 पूरक।एस. सी. आर. 538-संदर्भित।

सरवाना ग्लोबल होल्डिंग्स लिमिटेड और अन्र. बनाम बाफना फार्मास्युटिकल्स

लिमिटेड और ओआरएस कंपनी अपील (एटी) (इंसोल।) 2019 का सं. 203-निर्दिष्ट।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन आक्षेपित हैं

सिविल अपीलीय अधिकारिता 2022 की सिविल अपील No.2552।2021 के कंपनी अपील (ए. टी.) (सी. एच.) (आई. एन. एस.) No.207 में राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण, चेन्नई के दिनांकित 01.12.2021 के निर्णय और आदेश से।

रूपः

आदित्य मदान, जी. पी. मदान, दीप बिष्ट, सुश्री ऐश्वर्या अधलाका, आशीष मखीजा, सुमित कुमार, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

जयंत मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता, गौतम शिवशंकर, सुश्री निकिता सेठी, सुधीर नागर, गौतम सिंघल, विक्रांत मेहता, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

आर. राघवेंद्रन बनाम सी. राजा जॉन और ओआरएस।

721

सर्वोच्च निर्णय के निर्णय का निर्णय/आदेश

संजय किशन कौल, न्या.

1. वर्तमान अपील को एक सीमित पहलू पर एन. सी. एल. ए. टी. दिनांक 01.12.2021 के आक्षेपित निर्णय के खिलाफ प्राथमिकता दी गई है।हमारे लिए यह आवश्यक नहीं है कि

हम उन सभी तथ्यात्मक परिदृश्य में जाएं जिन्होंने इन कार्यवाही को जन्म दिया।यह कहने के लिए पर्याप्त है कि हमारे सामने कोई विवाद नहीं है कि प्रतिवादी नंबर 1 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (संक्षेप में 'एमएसएमई')-स्प्रिंगफी एल्ड शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का प्रवर्तक है। उक्त संस्था के खिलाफ कार्यवाही दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (संक्षेप में "संहिता") के अंतर्गत लंबित है जो 12.2.2020 पर शुरू की गई है और हमारे सामने अपीलकर्ता समाधान पेशेवर है।

2. यह ध्यान देने योग्य है कि एन. सी. एल. ए. टी. ने प्रक्रिया शुरू होने के बाद खरीदे जा रहे प्रमाण पत्र के कारण एम. एस. एम. ई. के रूप में इकाई की स्थिति पर प्रश्न िया निशान लगा दिया था, लेकिन आक्षेपित आदेश के अनुसार अपील में, तथ्यात्मक तथ्य यह है कि यह प्रक्रिया शुरू होने से पहले एक एम. एस. एम. ई. था और इस प्रकार एम. एस. एम. ई. अधिनियम का लाभ उक्त इकाई को उपलब्ध होगा।

3. हम यह भी नोट कर सकते हैं कि प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत योजना को एन. सी. एल. टी. द्वारा एक प्रवर्तक के रूप में प्रत्यर्थी संख्या 1 की स्थिति के कारण विचार के लिए अयोग्य माना गया था क्योंकि इकाई एक एम. एस. एम. ई. नहीं थी और इस प्रकार उक्त संहिता की धारा 29 (ए) (ई) के अंतर्गत अयोग्य घोषित किया गया था और वर्तमान मामले के तथ्यों में एम. एस. एम. ई. के लिए एक अपवाद नहीं बनाया जाएगा।हालांकि, एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचने पर कि इकाई एक एम. एस. एम. ई. है और कार्यवाही से पहले उस स्थिति में थी, परिदृश्य बदल गया और प्रस्ताव के साथ कोई विवाद नहीं है।प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत योजना पर विचार किया जा सकता है।यह उपरोक्त स्थिति के अनुसरण में है कि समाधान पेशेवर ने कार्य करने की मांग की।4. इस न्यायालय के समक्ष समाधान पेशेवर के सामने आने का कारण यह है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष अवमानना कार्यवाही का नेतृत्व करते हुए आरोप लगाया कि समाधान पेशेवर दिनांकित 01.12.2021 के आदेश के संदर्भ में कार्य नहीं कर रहा था।यह आक्षेपित आदेश के पैराग्राफ Nos.32 और 34 में की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए था जो निम्नानुसार हैः-

"32) किसी भी स्थिति में, यह स्पष्ट है कि निगमित ऋणदाता एक एमएसएमई है और जैसा कि इस न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया है कि प्रवर्तकों के लिए निगमित ऋणदाता के नियंत्रण को पुनः प्राप्त करने के लिए अन्य समाधान आवेदकों के साथ प्रतिस्पर्धा करना आवश्यक नहीं है।

34) इसके अलावा, इस न्यायाधिकरण को संहिता के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कि अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में निगमित ऋणदाता की परिसंपत्तियों के मूल्य के अधिकतमकरण को ध्यान में रखा जाना चाहिए।निगमित ऋणदाता के नियंत्रण को फिर से हासिल करने का

अवसर देने के लिए, निगमित ऋणदाता के प्रबंधन/प्रवर्तक/पूर्व निदेशक एक एमएसएमई होने के नाते, अन्य समाधान आवेदकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए आवश्यक नहीं हैं। "

5. कंपनी अपील (एटी) (इंसोल) में न्यायाधिकरण के निर्णय के संदर्भ में उपरोक्त टिप्पणियां की गई हैं। 2019 का सं. 203 जिसका शीर्षक "सरवन ग्लोबल होल्डिंग्स लिमिटेड एंड अन्र" है। बनाम। बाफना फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड और अन्य "।

6. अपीलार्थी ने अन्य योजनाओं को आमंत्रित करने की मांग की और उसके बाद ई-मतदान हुआ।ई-मतदान के घोषित किए जाने वाले परिणामों के आधार पर, प्रतिवादी संख्या 1 के नेतृत्व में अवमानना कार्यवाही की गई और ई-मतदान प्रक्रिया के परिणाम पर रोक लगा दी गई।इस प्रकार वास्तविक विवाद यह है कि क्या आक्षेपित निर्णय के पैराग्राफ Nos.32 और 34 में की गई टिप्पणियों को बाफना के मामले (सुप्रा) में टिप्पणियों के संदर्भ में कायम रखा जा सकता है या नहीं, जिसके बारे में कहा जाता है कि निम्नलिखित आदेश द्वारा इस न्यायालय की अभेद्यता प्राप्त हुई हैः-

“1. न्यायाधिकरण द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया है।तदनुसार, अपील खारिज कर दी जाती है।

2. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाएगा। "

7. हमें बाफना के मामले (ऊपर) में निर्णय के माध्यम से लिया गया है।प्रत्यर्थी संख्या 1 के विद्वान वकील का कहना है कि 2019 के सी. ए. <आई. डी. 1 में इस न्यायालय के आदेश को देखते हुए, जैसा कि (2000) 6 एस. सी. सी. 359 के रूप में सूचित "कुन्हयमद और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य" में उल्लिखित आदेश के विलय के सिद्धांत लागू होंगे।इस पक्ष में, हम यह देख सकते हैं कि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से जो कुछ भी किया गया है, वह केवल यह देखते हुए न्यायाधिकरण के आदेश को बरकरार रखना है कि हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनाया गया है-कुछ भी अधिक नहीं और कुछ भी कम नहीं।

8. हम, इस प्रकार, न्यायाधिकरण द्वारा पारित बाफना के मामले में निर्णय के प्रासंगिक भाग की ओर रुख करते हैं क्योंकि वास्तव में उस संदर्भ की सराहना करने के लिए जिसमें उस निर्णय के पैराग्राफ 22 में टिप्पणियां की गई थीं, यह देखना आवश्यक है कि वह निर्णय पैराग्राफ 18 से 22 तक कैसे आगे बढ़ा;

“18. इसलिए, यह स्पष्ट है कि 'आई एंड बी कोड' में 'कॉर्पोरेट देनदार' की परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करने की परिकल्पना की गई है ताकि वे प्रभावी रूप से चालू चिंताओं के रूप में संचालित हों और बदले में उद्यमिता को बढ़ावा दें।प्रस्तावना किसी भी तरह से परिसमापन का उल्लेख नहीं करती है, जिसका लाभ केवल अंतिम उपाय के रूप में लिया

जाता है यदि या तो कोई 'समाधान योजना' नहीं है या 'समाधान योजना' प्रस्तुत नहीं की गई है।

19. मान लीजिए, 'कॉर्पोरेट देनदार' एक 'एमएसएमई' है और प्रवर्तक 'आई एंड बी कोड' की धारा 29 ए के संदर्भ में अयोग्य नहीं हैं।इसलिए, 'ऋणदाताओं की समिति' के लिए यह पता लगाना आवश्यक नहीं है कि 'समाधान आवेदक' धारा 29 ए के संदर्भ में अयोग्य है या नहीं।
20. 'लेनदारों की समिति' को व्यवहार्यता, व्यवहार्यता और ऐसी अन्य आवश्यकताओं पर विचार करना है जो बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट की गई हैं।यदि यह परिसंपत्तियों के अधिकतमकरण का प्रस्ताव करता है और इसे व्यवहार्य, व्यवहार्य पाया जाता है और बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट अन्य सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है, कंपनी एमएसएमई है, तो 'लेनदारों की समिति' के लिए 'कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया' के अंतर्गत सभी प्रक्रियाओं का पालन करना आवश्यक नहीं है।उदाहरण के लिए, यदि मामला पहले निपटाया जाता है, तो 'लेनदारों की समिति' का गठन या प्रवर्तक द्वारा दिए गए प्रस्ताव के आधार पर धारा 12 ए के संदर्भ में, ऐसे मामले में, 'समाधान आवेदक' आदि के आवेदन को बुलाने के लिए अन्य सभी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जाता है।यदि प्रवर्तक सभी लेनदारों को संतुष्ट करता है और 'निगमित ऋणदाता' को एक चालू चिंता के रूप में रखने की स्थिति में है, तो यह हमेशा 'लेनदारों की समिति' के लिए निपटान की शर्तों को स्वीकार करने और 90 प्रतिशत मतदान शेयरों द्वारा इसे अनुमोदित करने के लिए खुला है।एमएसएमई के मामले में भी इसी सिद्धांत का पालन किया जा सकता है।

21. संसद ने विशिष्ट इरादे के साथ 'एमएसएमई' के प्रवर्तकों को 'समाधान योजना' बनाने की अनुमति देकर 'आई एंड बी कोड' के प्रावधानों में संशोधन किया।विधायिका की मंशा से पता चलता है कि 'एम. एस. एम. ई.' के प्रवर्तकों को 'ऋणदाताओं की समिति' की संतुष्टि के साथ राशि का भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि 'निगमित ऋणदाता' और उद्यमिता पर नियंत्रण फिर से हासिल किया जा सके।

/

[2023] 14 एस सी आर।

'समाधान योजना 'जो व्यवहार्य, व्यवहार्य है और भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड द्वारा निर्धारित अन्य मानदंडों को पूरा करती है।

22. इसलिए, हमारा मानना है कि असाधारण परिस्थितियों में, यदि 'कॉर्पोरेट देनदार' एमएसएमई है, तो प्रवर्तकों के लिए 'कॉर्पोरेट देनदार' के नियंत्रण को फिर से हासिल करने के लिए अन्य 'समाधान आवेदकों' के साथ प्रतिस्पर्धा करना आवश्यक नहीं है। "

9. उपरोक्त को पढ़ने से पता चलता है कि यह इस मौलिक सिद्धांत से शुरू होता है कि न्यायालय निगमित देनदार की परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करने की परिकल्पना करता है।इसके बाद, यह एक कॉर्पोरेट देनदार के परिदृश्य पर चर्चा करने के लिए आगे

बढ़ता है, जो एक एमएसएमई है, एक प्रवर्तक के लिए संहिता की धारा 29 ए (सी) और (एच) की अप्रयोज्यता के संदर्भ में अयोग्यता।

10. व्यवहार्यता, व्यवहार्यता और संहिता द्वारा निर्दिष्ट ऐसी अन्य आवश्यकताओं पर विचार करते हुए लेनदारों की समिति (संक्षेप में 'सी. ओ. सी.') के पहलू पर चर्चा आगे बढ़ती है और यह बताती है कि यदि यह परिसंपत्तियों को यथासंभव, व्यवहार्य बनाने का प्रस्ताव करती है और संहिता द्वारा निर्दिष्ट सभी आवश्यकताओं को पूरा करती है, तो सी. ओ. सी. के लिए कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के अंतर्गत सभी प्रक्रियाओं का पालन करना आवश्यक नहीं है।इसके बाद दिया गया उदाहरण यह है कि यदि किसी सी. ओ. सी. के गठन से पहले या प्रवर्तक द्वारा दिए गए प्रस्ताव के आधार पर संहिता की धारा 12 ए के संदर्भ में किसी मामले का निपटारा किया गया है, तो ऐसे मामले में समाधान आवेदकों आदि के आवेदनों को बुलाने की प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है और वे इस मुद्दे को एक चालू विषय के रूप में रखने की स्थिति में होंगे और सी. ओ. सी. समझौते की शर्तों को स्वीकार करेंगे और इसे 90 प्रतिशत तक मंजूरी देंगे।जैसा कि कोई कह सकता है, यह एमएसएमई के लिए एक विशेष विशेषाधिकार है। इसके बाद, पैराग्राफ 22 में यह लिखा गया है कि "असाधारण परिस्थितियों" में यदि कोई कॉर्पोरेट देनदार एक एमएसएमई है, तो प्रवर्तकों के लिए कॉर्पोरेट देनदार पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए अन्य समाधान आवेदकों के साथ प्रतिस्पर्धा करना आवश्यक नहीं है।

11. आक्षेपित निर्णय में, इस बात पर शायद ही कोई विवाद हो कि बाफना के मामले में निर्णय के संदर्भ के अलावा विशेष परिस्थितियों पर कोई चर्चा नहीं हुई है।आक्षेपित निर्णय एक व्यापक तर्क पर आधारित है जैसे कि वास्तव में अन्य प्रस्तावों को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है यदि यह एक एमएसएमई है। इसके व्यापक संदर्भ को ध्यान में रखते हुए, हम स्पष्ट रूप से देखते हैं और मानते हैं कि यह विधि की सही स्थिति नहीं है।

12. यह अधिक इसलिए है क्योंकि बाफना के मामले के तथ्यात्मक परिदृश्य में, टिप्पणियाँ (ए) सीओसी 725 के गठन से पहले के संदर्भ में की गई थीं।

आर. राघवेंद्रन बनाम सी. राजा जॉन और ओआरएस। [संजय किशन कौल, जे.] 726

या (बी) ऐसे मामले में प्रवर्तक द्वारा दिए गए प्रस्ताव के आधार पर संहिता की धारा 12 ए के संदर्भ में।

13. यह कानूनी सिद्धांतों को स्पष्ट करने के लिए है ताकि बाफना के मामले में की गई टिप्पणियों के संदर्भ की सराहना करने में भविष्य में कोई भ्रम न हो।14. इस प्रकार, हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि अपीलार्थी को अन्य प्रस्तावों के लिए बुलाने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिए गए प्रस्ताव की भी जांच की जानी थी, उन्हें सी. ओ. सी. के समक्ष मतदान करने और परिणाम घोषित करने के लिए रखा जाना था।

15. उस हद तक, आक्षेपित आदेश को अलग कर दिया जाता है।

16. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि अनुच्छेद संख्या 32 और 34 में उपरोक्त टिप्पणियों के आधार से उत्पन्न होने वाली सभी कार्यवाहियां, चाहे वे अवमानना कार्यवाहियों में हों या किसी अन्य कार्यवाहियों में, भंग हो जाएंगी और उन्हें अलग कर दिया जाएगा।17. हम उपरोक्त आदेश द्वारा मामले को समाप्त कर सकते थे, लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान वकील द्वारा इस तथ्य के कारण कथित प्रतिवादी को कुछ समय देने के लिए राजी किया गया कि उसने वित्तीय लेनदारों को एक ओ. टी. एस. (वन टाइम सेटलमेंट) प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और उसे स्वीकार करने की उम्मीद है।उनका यह भी कहना है कि खरीदार भी सहमत हैं, लेकिन वे सीओसी का केवल 15 प्रतिशत हैं।

18. हम मामले के दिए गए तथ्यों अंतर्गत प्रतिवादी संख्या 1 को वह मौका देने के लिए इच्छुक हैं, लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिए गए ओटीएस के बहाने कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाए।, क्योंकि न्यायालय का उद्देश्य दिवालियापन या पुनरुद्धार के पहलू के साथ त्वरित समाधान करना होगा।हमारे प्रश्न पर, विद्वान वकील, निर्देशों पर प्रस्तुत करते हैं कि वित्तीय लेनदारों को मनाने के लिए दो महीने की अवधि दी जा सकती है।
19. हम अनुरोध को स्वीकार करने के लिए इच्छुक हैं, यह स्पष्ट करते हुए कि यदि वित्तीय लेनदार ऐसा करने के लिए इच्छुक नहीं हैं, यदि प्रतिवादी (ओं) द्वारा उस ओर से कोई आगे की कार्यवाही शुरू की जाती है, तो यह प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा खींची जाने वाली प्रक्रिया में बाधा नहीं डालेगा।यह प्रतिवादी संख्या 1 को दी गई एक बार की अवधि है।यह भी प्रत्यर्थी संख्या 1 के विद्वान वकील के अनुसार है।यदि वित्तीय लेनदार प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं और खरीदारों पर दबाव पड़ता है, तो शुरू की गई प्रक्रिया स्वयं ही भंग हो जाएगी।

20. कानूनी प्रस्ताव का उच्चारण करते समय उपरोक्त शर्तों को ध्यान में रखते हुए, हम, इस प्रकार, अपील की अनुमति देते हैं और आक्षेपित निर्णय के पैराग्राफ Nos.32 और 34 को अलग करते हैं।

/

21. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि दो महीने की अवधि के बाद, यदि ओ. टी. एस. स्वीकार नहीं किया जाता है, तो अपीलकर्ता सभी प्रस्तावों के लिए ई-मतदान के परिणाम घोषित करने के लिए निशुल्क होगा।

22. अपील पक्षकारों को अपना खर्च स्वयं वहन करने की अनुज्ञात देती है।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोटः

अपील अनुज्ञात ।

दिव्या पांडे